

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:प.1(9)रानिआ/लेखा/बजट/2014-15/ 866

जयपुर, दिनांक: 20/11/15

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायत आम चुनाव-2015 की कानून व्यवस्था में लगे पुलिस कार्मिकों के यात्रा भत्ता एवं पी.ओ.एल. भुगतान बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पंचायत आम चुनाव 2015 की कानून व्यवस्था में लगे पुलिस कार्मिकों के यात्रा भत्ता एवं पुलिस विभाग के स्वयं के वाहनों का पी.ओ.एल. आदि का भुगतान पुलिस विभाग द्वारा ही वहन किया जाना है।

पुलिस विभाग (PHQ) से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक बजट का आवंटन किया जा रहा है। तदनुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, पंचायत आम चुनाव 2015 की कानून व्यवस्था में संलग्न पुलिस कार्मिकों के यात्रा भत्ता एवं पुलिस विभाग के स्वयं के वाहनों का पी.ओ.एल. का भुगतान चुनाव फण्ड से नहीं किया जावे। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

(सत्य प्रकाश बसवाल) 20/11/15
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक: 20/11/15

क्रमांक:प.1(9)रानिआ/लेखा/बजट/2014-15/ 867

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पंचायत चुनाव शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।

(कोमल आगरी) 20/11/15
वित्तीय सलाहकार

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर